



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228736
CG-DL-E-04082021-228736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]
No. 433]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 532(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 4 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के नियम 6 के उपनियम (3) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:--

“परंतु कोई व्यक्ति, जो सदस्य-सचिव के सिवाय, सदस्य के रूप में दो अवधियों के लिए पद धारण कर चुका है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में दो से अधिक अवधियों के लिए पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह और भी कि कोई व्यक्ति जो,--

- (i) सदस्य के रूप में दो अवधियों के लिए; या
- (ii) एक अवधि सदस्य के रूप में और एक अवधि अध्यक्ष के रूप में पद धारण किया है, वह अध्यक्ष के रूप में एक और अवधि के लिए पद धारण हेतु पात्र होगा”।

[फा.सं.-एनसीडब्ल्यू-20/35/2015-एनसीडब्ल्यू एडीएमएन]

आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भाग II, धारा 3, उपधारा (i), तारीख 31 जनवरी, 1992 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 74(अ), तारीख 31 जनवरी, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2021

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 read with sub-section (5) of section 4 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1992, namely:-

1. Short Title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2021.

(1) They shall come into force with immediate effect.

2. In the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1992, in rule 6, in sub-rule (3), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely: -

"Provided that a person who has held office for two terms as Member, except as Member-Secretary, shall not be eligible for re-nomination as a Member:

Provided further that no person shall hold office for more than two terms as Chairperson:

Provided also that a person who has held office,—

(i) for two terms as Member; or

(ii) one term as Member and one term as Chairperson,

shall be eligible for one more term as Chairperson."

[F.No- NCW-20/35/2015-NCW ADMN]

ASHISH SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, sub-section (i), dated 31st January, 1992, *vide* notification number G.S.R. 74(E), dated the 31st January, 1992.